

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-4 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
(रक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 6 जूलाई, 2017

सा.नि.आ. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना अफसर वेतन नियम 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना अफसर वेतन (संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
2. सेना अफसर वेतन नियम, 2017 में -

(क) नियम 3, खंड (छ) में निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

टिप्पण : "किसी इस प्रकार की संगणना में जो विशिष्ट स्तर के अधिकतम वेतन के साथ कार्य करने का प्रयास करती है, स्तर के अंतिम अंक की और स्तर के अंतिम बिंदुओं की संगणना नहीं की जाएगी, जो उस स्तर में संभव उच्चतम और निम्नतम वेतन व्यपदिष्ट करते हैं, को छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन से पूर्व अविभावी होने के लिए यथाप्रयुक्त किसी क्लोज्ड वेतनमान के अधिकतम और न्यूनतम के रूप में नहीं माना जाएगा।"

(ख) अनुसूची में, भाग 'क' के स्थान पर निम्नलिखित भाग रखा जाएगा अर्थात् :-
"भाग क"।

फा.सं. 1(8)/2016-रक्षा (वेतन/सेवाएं) भाग-1



(एम. सुब्बारायन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

